अंडों का निर्यात

1907. **चौधरी हरि सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से विदेशों को अंडों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान यह निर्यात कितने मूल्य का हुआ और उसकी मात्रा कितनी थी ;

(ग) अंडों का आयात करने वाले देश कौन-कौन से हैं ;

(घ) क्या सरकार ने कुछ अन्य देशों द्वारा की गई अंडों की मांग को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ; और

(ङ) और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अंडों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यातित अण्डों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

अंडों की मात्रा	मूल्य (लाख रुपए)	जिन देशों को निर्यात किया गया
3.18 करोड़	519.83	संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, मालदीव, बेहरीन तथा सऊदी अरब ।

(घ) भारतीय पोल्ट्री उद्योग अंडों की निर्यात मांग पूरा करने में सक्षम है बशर्ते कि प्रस्तावित कीमत प्रतियोगी हों ।

(ङ) अंडों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु आरम्भ किए गए उपायों में शामिल है: आधारिक संचनात्मक सुविधायें, स्वास्थ्य प्रमाणीकरण प्रभारों में कमी, विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल योजना आदि ।

Inquiry against U.S. exporters of shrimp

1908. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:
SHRI DIPEN GHOSH:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry had recently ordered an investigation against some exporters of shrimp to the U. S. who were accused of attempting to export contaminated sea food as reported in the Pioneer of the July 4, 1992;

(b) whether Government have received any complaint with regard to quality control inspection certificate issued by Indian authorities for sea food exports to U.S. if so, details thereof; and

(c) what steps Government of India propose to take in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The US Authorities have recently advised our Mission in Washington that they would no longer acept the certificate given by the Export Inspection Agency covering filth and decomposition in shrimps exported from India due to a high violation rate in samples checked by US Authorities.

(c) Suitable instructions have already been isued to the Seafood Industry, EIA etc. in the form of an alert letter sent to them. EIA has has also been alerted to conduct letter sent to them. EIA has also been alerted to conduct more intensive tests and surveilance. A mechanism has been initiated to monitor the pre-process and process stages to avoid filth and decomposition

by adopting strict quality control measures. Our Mision in Washington is also in touch with the US Authorities.

इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात तथा निर्यात

1909. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 से अब तक इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा का आयात तथा निर्यात किया गया ;

(ख) इसका देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई :

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) इलेक्ट्रानिक सामान के निर्यात एवं आयात की मात्रा संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं बल्कि उनके मूल्य के आंकड़े रखे जाते हैं। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार इलेक्ट्रानिक सामान के निर्यात एवं आयात के मूल्य के आंकड़े (जो कि वित्तीय वर्षवार रखे जाते हैं) निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1990–91	1253.63	416.94
1991–92	1159.68	611.93

(1991–92 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशियां इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपए)

1990–91	416.94
1991–92	611.93

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय)

India's reaction to Dunkel's Draft on patent protection

1910. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI ANANTRAY DEVESHANKER DAVE:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has conveyed its willingness to accept some of the clauses relating to patent protection in the Dunkel's draft on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) subject to the condition that a transition period of 15 years is allowed if so, what are the details thereof;

(b) whether clauses contained in article 31 of the TRIPs text relate to compulsory licensing of patents in the drugs, pharmaceuticals, food and and chemicals industries and their acceptance would involve changes in India's patent laws, if so, to what extent this would provide stronger patent protection to multinationals;

(c) whether it is a fact that earlier during this year in Geneva readiness to accept above mentioned amended Dunkel proposals was conveyed during the negotiations; and

(d) whether India's opposition to Dunkel is well responded in international fora; if so, the details thereof?